कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 03/07/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 02.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना खानपुर व थाना सैदपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाला 25000/-रु0 का इनामिया व दो अन्य शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अदद देसी तमंचा .315 बोर, 01अदद देसी तमंचा .312 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस, 05 अदद जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 02.07.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी । इसी क्रम में थानाध्यक्ष खानपुर मय टीम पोखरा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे कि सामने से एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति बिना हेलमेट भुझउआ की तरफ से चले आ रहे थे । जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पुलिस टीम पर चढ़ने का प्रयास करते हुए बिहारीगंज डगरा की तरफ भागने लगे। थानाध्यक्ष खानपुर द्वारा उक्त व्यक्तियों का पीछा करते हुए जरिये आरटी सेट कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए जरिये दूरभाष थाना प्रभारी सैदपुर को सूचित कर उक्त व्यक्तिओ को सामने से घेराबंदी कर पकड़ने के लिए कहा गया । उक्त सूचना को सही मानते हुए प्रभारी निरीक्षक सैदपुर मय टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई | बूढीपुर मोड़ पर सामने से खुद को घिरा देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से देशी तमंचे से 03 राउंड फायर किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया तो तीनो बदमाशों के पैरो में गोली लगी। घायल बदमाशो को प्राथमिक उपचार हेतु CHC खानपुर भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम क्रमशः 1. अविनाश यादव पुत्र स्वर्गीय भरत यादव निवासी ग्राम कूड़ालंबी थाना खानपुर 2. विकास उर्फ करिया यादव पुत्र रामकुँअर निवासी ग्राम नरकटा फोक थाना चन्दवक जिला जौनपुर 3. देवेंद्र चौहान उर्फ कल्लू चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान ग्राम कैंथवलिया थाना खानपुर बताया । पुलिस टीम

पर गोली चलाने का कारण पूछने पर बताया, साहब हम लोग मुकदमे में वांछित अभियुक्त हैं। पकडे ना जाये इसलिए फायर किये।

घायल /गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

1. अविनाश यादव पुत्र स्वर्गीय भरत यादव ग्राम कूड़ालंबी थाना खानपुर

1. मु0अ0सं0 102/24धारा 323 325 392 504 506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 168/21धारा 307 323 34 IPC व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर
3. मु0अ0सं0 191/25धारा 109(1) बंस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर

2. विकास उर्फ करिया यादव पुत्र रामकुँअर ग्राम नरकटा फोक थाना चन्दवक जिला जौनपुर

1. मु0अ0सं0 191/25धारा 109(1) बंस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर
2. मु0अ0सं0 06/24धारा 308 323 325 504 506 ipcथाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर

3. देवेंद्र चौहान उर्फ कल्लू चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान ग्राम कैंथवलिया थाना खानपुर

1. मु0अ0सं0 191/25धारा 109(1) बंस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर
2. मु0अ0सं0 08/24धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर
3. मु0अ0सं0 123/24धारा 115(2) 117(2) 351(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाज़ीपुर

बरामदगी -

1. 02 अदद देसी तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद देशी तमंचा 312 बोर
3. 03 अदद खोखा कारतूस
4. 05 अदद जिन्दा कारतूस
5. 01 अदद मोटरसाइकिल

02. **"ऑपरेशन मुस्कान"**

गाजीपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन मुस्कान" अभियान के अन्तर्गत माह जनवरी से माह जून तक कुल – 311 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया –

* उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लापता/गुमशुदा/ एवं अपहृताओं/अपहृतों को ढूंढने,उन्हें बचाने और उनका पुनर्वास करने हेतु चलाया जा रहा "ऑपरेशन मुस्कान" (Operation Muskaan) जिसका मुख्य उद्देश्य लापता/गुमशुदा/ एवं अपहृताओं/अपहृतों खोजना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना,पुनर्वास करना, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक सहायता एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

* जिसके क्रम में जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावशाली कार्य करते हुए अभियान "ऑपरेशन मुस्कान" के अन्तर्गत माह जनवरी से माह जून 2025 तक कुल- 311 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर

अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था,जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

* बरामदगी का मासिक विवरण
* जनवरी - 50
* फरवरी - 52
* मार्च - 54
* अप्रैल - 54
* मई - 54
* जून - 47
* कुल योग -311

<u>03. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 108/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 108/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त अनुज कुमार यादव उर्फ गोलू पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम छपरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को नोनहरा मोड़ के पास बहदग्राम फतेहपुर अटवा से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -</u>

1. अनुज कुमार यादव उर्फ गोलू पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम छपरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 108/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

<u>04. थाना रेवतीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 39/25 धारा 324(4), 351(3), 352, 326(छ) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को थानाध्यक्ष श्री रमेश कुमार पटेल मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर खुदरा गदाईपुर के पास से मु0अ0सं0 39/25 धारा 324(4), 351(3),352,326(छ) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अनिल यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता अभियुक्तः-</u>

1. अनिल यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव नि0ग्राम खुदरा गदाईपुर थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 39/25 धारा 324(4), 351(3),352,326(छ) बीएनएस, थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर